

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ 112 /2022.लखनऊ:दि0::जनवरी, 13 ,2022

--:आदेश :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम-64(3) में निहित शक्तियों के अधीन दिनांक 27.01.2022 एवं दिनांक 28.01.2022 को पूर्ण पीठ से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

गठित पूर्ण पीठ में मेरे साथ श्री विनय सिंह, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 लखनऊ एवं श्री अजीत कुमार शुक्ला, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ सम्मिलित होंगे।  
तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

ह0 / 13.01.2022

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/ पूर्ण पीठ / 112 /2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 व 3 लखनऊ।
2. मुंसरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर मुख्यालय।
3. सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ 113 /2022.लखनऊ:दि0::जनवरी, 13 ,2022

--:आदेश :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम-64(3) में निहित शक्तियों के अधीन दिनांक 17.02.2022 एवं दिनांक 18.02.2022 को पूर्ण पीठ से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

गठित पूर्ण पीठ में मेरे साथ श्री विनय सिंह, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 लखनऊ एवं श्री अजीत कुमार शुक्ला, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

ह0/13.01.2022

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/ पूर्ण पीठ / 113 /2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 व 3 लखनऊ।
2. मुंसरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।